न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2024/218

1. बद्रीलाल आत्मज रामसुख जाति माली
2. बसन्तीलाल आत्मज रामसुख जाति माली
3. कपिल आत्मज रूपचन्द जाति माली
   निवासीगण ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

––अपीलांट

बनाम

1. प्रभा पुत्री मोहनलाल जाति माली
2. विद्यादेवी पत्नी मोहनलाल जाति माली निवासीगण हाल निवास मकान नम्बर 677 महावरी नगर द्वितीय कोटा
3. दीपक पुत्री मोहनलाल पत्नी रामस्वरूप जाति माली निवासी एम डी एस सैकेण्ड्री स्कूल पनवाड तहसील खानपुर झालावाड़

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :–

1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2. श्री मनोज मंत्री, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 की ओर से।
3. श्री संजय पाटौदी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 31.01.2025

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 58/2021 में पारित निर्णय दिनांक 07.08.2024 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में मूलवाद के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता पति स्व० मोहन लाल जी पुत्र रामसुख जी जाति माली, निवासी चेचट, विद्युत विभाग में कार्यरत कर्मचारी रहे है और अपनी नौकरी के दौरान मोहन लाल जी द्वारा स्वयं की आय से दिनांक–21.06.1972 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र

आराजी वाके माल ग्राम खेडली, तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 497 की रकबा 30 बीघा 18 बिस्वा भूमि मे से पूर्व दिशा की 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि पूर्व खातेदार श्री चर्तुभुज, रामनिवास, पिसरान् श्री धन्ना लाल जाति ब्राहम्ण, निवासी बुधखान, तहसील रामगंजमण्डी, से क्रय की, कब्जा प्राप्त किया। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूमि प्रार्थीगण के पूर्वज श्री मोहन लाल के खाते दर्ज की गयी। इससे सम्बन्धित इन्तकाल संख्या 143 दिनांक–20.08.1972 की प्रमाणित प्रतिलिपी साथ सलग्न है।उक्त आराजी स्व० मोहन लाल जी द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त करने के बाद स्वंय की आय से उक्त्त आराजी पर सिंचाई की सुविधा हेतु कुआं बनवाया गया और उक्त कुएँ पर विधिवत् विद्युत कनैक्शन प्राप्त किया गया जो वर्तमान मे भी स्थित है। विद्युत बिल की प्रति साथ सलग्न है।उक्त क्रय शुदा भूमि पुराने खसरा नम्बर 497 की रकबा 30 बीघा 18 बिस्वा मे से पूर्वी भाग 8 बीघा 10 बिस्वा के बाद सेटलमेन्ट नये खसरा नम्बर 682 एवं चाह के नम्बर 683 कायम किये गये। जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 1.3700 हैक्टयर एवं 0.0100 हैक्टयर दर्ज किया गया। नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल ग्राम खेडली साथ सलग्न है। उक्त खसरा नम्बर 497 की क्रय शुदा भूमि 8 बीघा 10 बिस्वा इन्तकाल संख्या 143 दिनांक–20.08.1972 से स्व० मोहनलाल जी के खाते दर्ज किये जाने के बाद उक्त आराजी जीवनपर्यन्त स्वतन्त्र रूप से मोहन लाल जी के खाते दर्ज रही। उक्त आराजी के स्व० मोहन लाल जीवनपर्यन्त खातेदार रहे। नकल जमाबन्दी ग्राम खेडली सम्वत् 2074 से 2077 साथ सलग्न है। आराजी की काश्त की व्यवस्था स्व० मोहन लाल जब तक नौकरी में रहे अपने परिचितो से कराते रहे। सेवानिवृत्ति के बाद स्वंय मोहनलाल कृषि व्यवस्था सम्भलाते रहे। मोहन लाल जी के जीवनकाल में ही उनके पुत्र सुनील का स्वर्गवास दिनांक–15.11.2014 को हुका है। मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति साथ सलग्न है। स्व० मोहनलाल जी का स्वर्गवास दिनांक 08.09.2020 को हो चुका है। मृत्यु प्रमाण की प्रति साथ सलग्न है। स्व० मोहनलाल जी की मृत्यु के पश्चात् उक्त आराजी के खातेदारी अधिकार हेतु समस्त प्रार्थीगण जो मृतक मोहनलाल जी के वैध वारिसान है के हित में इन्तकाल संख्या –660, दिनांक–08.10.2020 को खोला जाकर विधिवत् दिनांक–20.10.2020 को तस्दीक किया जा चुका है और इसके बाद उक्त आराजीयात प्रार्थीगण के खाते दर्ज हो चुकी है और प्रार्थीगण उक्त आराजीयात के खातेदार कृषक है। नकल जमाबन्दी ग्राम खेडली सम्वत् 2074 से 77 साथ सलग्न है। प्रार्थीगण 1, 3 वर्तमान मे कोटा निवास करती है तथा प्रार्थीया क्रम–2 विवाह के पश्चात् अपने ससुराल में निवास कर रही है इस कारण उक्त कृषि भूमि की व्यवस्था प्राथीगण अपने परिचित से करवाते चले आ रहे है तथा स्व० मोहनलाल के पुत्र सुनील का स्वर्गवास हो जाने से उसकी विधवा पत्नी सीमा सरकारी नौकरी (शिक्षिका) और उसका नाबालिग पुत्र कुनाल दोनो एक साथ रहते है और सीमा और कुनाल की ओर से संयुक्त रूप से अब तक निरन्तर काश्त व्यवस्था प्रार्थीगण ही अपने किसी परिचित के माध्यम से कराते चले आ रहे है। प्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 3 के महिलाये होने के कारण अप्रार्थीगण के मन में बदयान्ति आ गयी है और अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को अपने पूर्वज मोहनलाल जी से

हक विरासत में प्राप्त खसरा नम्बर 683 चाह वाके माल ग्राम खेडली से जबरन अपनी आराजीयात को सिंचित करने को प्रयासरत है जिसका अप्रार्थीगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के हक के चाह से जबरन पानी लेने और मना करने पर आमादा फसाद होने के कारण प्रार्थीनी कम–3 द्वारा थाना चेचट पर एक रिपोर्ट दिसम्बर 2020 में दर्ज कराने पर अप्रार्थीगण को धारा 107,116 (3) जा०फौ० के तहत 8 माह के लिये पाबन्द किया गया। अप्रार्थीगण ग्राम चेचट में यह शौहरत फैला रहे है कि हम खसरा नम्बर 683 प्रार्थीगण के चाह से अपनी आराजीयात को नी जबरन सिचित करेगे। प्रार्थीगण ने हमे रोकने का प्रयास किया तो जान से मार देगे। इस शौहरत की जानकारी प्रार्थीगण को अपने परिचित से दिनाक 26.07.2021 को हुई। अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य से प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि के लिये वेस्ट डेमेज एण्ड एलाईनेशन का खतरा उत्पन्न हो गया है। यदि अप्रार्थीगण अपने इरादे में सफल हो जाते हैं तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति प्रार्थीगण को किसी भी रूप में नहीं हो सकेगी तथा प्रार्थीगण को अन्य कई मुकदमेबाजी में फँसना पड जावेगा। प्रार्थीगण का यह प्रथम दृष्टया वाद है तथा सुविधाओ का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।उक्त समस्त कारणो से प्रार्थीगण के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वे माननीय न्यायालय से इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा अपने हित ने विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रसारित करावे कि अप्राथीगण दौराने वाद वाके माल ग्राम खेडली तहसील रामगजमण्डी के खसरा नम्बर 682 683 पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त रहने दे तथा खसरा नम्बर 683 में स्थित चाह से जबरन अपनी आराजीयात को सिंचित करने के लिये पानी लेने का प्रयास ना तो स्वंय करे और ना ही अपने किसी परिजन अथवा एजेन्ट से करावे। प्रार्थीगण के उक्त आराजी पर कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत उत्पन्न नही करे। वाद कारण दिनांक–26.07.2021 को जब ग्राम चेचट में अप्रार्थीगण द्वारा यह शौहरत फैलायी गयी कि हम खसरा नम्बर 633 वाके ग्राम खेडली से जबरन अपनी आराजीयात को सिचित करेगे और प्रार्थीगण द्वारा हमे रोकने का प्रयास किया तो जान से मार देगे। इस शौहरत की जानकारी प्रार्थीगण को अपने परिचित से दिनांक–26.07.2021 को हुई। उक्त उपर वर्णित कथन/जानकारी ही याद कारण है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के हित मे विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा की डिकी प्रसारित फरमायी जावे कि अप्रार्थीगण दौराने वाद ग्राम खेडली तहसील रामगंजमण्डी के माल में स्थित आराजीयात खसरा नम्बर 682, 683 पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त रहने दे तथा खसरा नम्बर 683 में स्थित चाह से जबरन अपनी आराजीयात को सिंचित करने के लिये पानी लेने का प्रयास ना तो स्वंय करे और ना ही अपने किसी परिजन अथवा एजेन्ट से करावे। प्रार्थीगण के उक्त आराजी पर कब्जे काश्त में तथा चाह (कुओं) मे किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत उत्पन्न नहीं करे। अन्य कोई सहायता जो न्यायोचित हो वह भी प्रार्थीगण को प्रदान की जावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.08.2024 को प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट सख्या 1 लगायत 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.08.2024 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.08.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07. 08.2024 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है जो निरस्त होने योग्य है। निर्णय जैर अपील न्याय एवं संचिता में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम पर किसी प्रकार का कोई आदेश प्रदान किये बिना ही रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र अपीलान्ट के विरूद्ध स्वीकार कर लिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है।योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यो का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि रामसुख जी के बद्रीलाल बसन्तीलाल, रूपचन्द व मोहनलाल पुत्र है। रामसुख जी द्वारा वर्ष 1972 में चतुर्भुज व रामनिवास से अपने पुत्रो के नाम से ग्राम खेडली तहसील रामगंजमण्डी स्थित खसरा नम्बर मिन 497 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा मोहनलाल के नाम खसरा नम्बर मिन 497 की 8 बीघा 10 बिस्वा बद्रीलाल के नाम से खसरा नम्बर मिन 497 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा रूप चन्द के नाम से खसरा नम्बर 497 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा खसरा नम्बर 496 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा बसन्तीलाल के नाम से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तथा चारो भाईयो ने बैंक से लोन लेकर कुआं खुदवाया जिसका उपयोग व उपभोग चारो भाई संयुक्त रूप से करते चले आ रहे है किन्तु फिर भी अपीलान्ट का काउण्टर क्लेम खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की

और कोई ध्यान नही दिया कि अपीलान्ट के काउण्टर क्लेम में वर्णित तथ्यो का रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई ठोस कारणो से खण्डन नही किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो से आराजी में स्थित कुएँ का उपयोग व उपभोग रामसुख जी के चारो पुत्र करते चले आ रहे है फिर भी काउण्टर क्लेम अर्णित रख दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि चारो भाईयो द्वारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया से ऋण प्राप्त कर कुआं खुदवाया गया। और उक्त ऋण चारो भाईयो द्वारा अदा किया गया जिसका नो ड्यूज पत्रावली पर मौजूद होने के बावजूद भी आदेश प्रदान कर दिया जो निरस्तनीय है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.08.2024 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि खसरा नम्बर 683 चाह वाके ग्राम खेड़ली तहसील रामगंजमण्डी की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के खाते की है जो उनको अपने पूर्वज मोहनलाल जी से विरासतन प्राप्त हुई है। मोहनलाल जी द्वारा वादग्रस्त आराजी को निजी आय से खरीद किया गया है। खसरा नम्बर 683 चाह पर मोहनलाल की के नाम से बिजली कनेक्शन है। अपीलांटगण को प्रश्नगत खसरा नम्बर 683 चाह के उपयोग उपभोग का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलांटगण खसरा नम्बर 683 चाह से जबरन पानी लेने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। खसरा नम्बर 683 चाह रेस्पोडेन्टगण के हक अधिकारों एवं कब्जे की है। अतः अपीलांटगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.08.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.08.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अपनी बहस में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की बहस का समर्थन किया तथा अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.08.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों एवं राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा अपीलांटगण के

विरूद्ध प्रश्नगत खसरा नम्बर 683 गे.मु.चाह की भूमि के उपयोग उपभोग नहीं करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का अनुतोष चाहा है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार ग्राम खेड़ली तहसील रामगंजमण्डी की खाता संख्या 270 की खसरा नम्बर 682 रकबा 1.37 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 683 रकबा 0.01 हैक्टैयर गै.मु.चाह भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 एवं नाबालिग कुनाल पुत्र सुनील तथा सीमा पत्नि सुनील की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। हस्तगत प्रकरण में उभयपक्षकारान के मध्य मुख्य विवावद खसरा नम्बर 383 गै.मु.चाह के उपयोग उपभोग एवं हक अधिकारों को लेकर है। अपीलांटगण का कथन है कि उनके पिता एवं दादा रामसुख जी द्वारा उनके चारो पुत्रों बद्रीलाल, बसन्तीलाल, रूपचन्द व मोहनलाल के नाम से भूमियॉ खरीद की गई थी तथा रामसुख जी के चारों पुत्रों द्वारा संयुक्त रूप से लोन लेकर कुआं खुदवाया गया था अतः अपीलांटगण का प्रश्नगत खसरा नम्बर 683 रकबा 0.01 हैक्टेयर गै.मु.चाह की भूमि पर समान रूप से हक अधिकार निहित है। रेस्पोडेन्टगण का कथन है कि उनके दादा मोहनलाल पुत्र रामसुख द्वारा निजी आय से आराजी खरीद की गई है तथा अपनी खरीदशुदा आराजी पर कुआं खुदवाकर बिजली का कनेक्शन प्राप्त किया गया हैं। रेस्पोडेन्टगण ने अपने कथन के समर्थन में पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 21.06.1972 तथा विद्युत बिल की फोटोप्रति प्रस्तुत की है। प्रश्नगत विक्रय–पत्र दिनांक 21.06.1972 में मोहनलाल आत्मज रामसुख द्वारा खसरा नम्बर 497 रकबा 30 बीघा 18 बिस्वा भूमि में से 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि खरीद किए जाने का अंकन है। रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रस्तुत विद्युत बिल में उपभोक्ता का नाम मोहनलाल अंकित है। मिलान क्षेत्रफल दिनांक 29.10.2004 से दिनांक 28.10.2004 के अनुसार गत खसरा नम्बर 497 मि. रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा से नवीन खसरा नम्बर 682 रकबा 1.37 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 683 रकबा 0.01 हैक्टेयर बने होना अंकित है। अतः पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत खसरा नम्बर 683 रकबा 0.01 हैक्टेयर गै.मु.चाह भूमि रेस्पोडेन्टगण के दादा मोहनलाल के खाते की भूमि है तथा वर्तमान में रेस्पोडेन्टगण की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड हैं। साथ ही उक्त चाह पर बिजली कनेक्शन भी मोहनलाल के नाम से ही दर्ज है। खसरा नम्बर 497 में से रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा रेस्पोडेन्टगण के दादा मोहनलाल द्वारा खरीद किए जाना प्रकट होता है। प्रश्नगत खसरा नम्बर 683 रकबा 0.01 हैक्टेयर गै.मु.चाह भूमि ना तो अपीलांटगण की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है और ना ही उनकी ओर से खसरा नम्बर 683 रकबा 0.01 हैक्टेयर गै.मु.चाह का उपयोग उपभोग किए जाने के सम्बंध में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु अपीलांटगण के पक्ष में नहीं होकर रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में निहित है। अपीलांटगण का खसरा नम्बर 683 रकबा 0.01 हैक्टेयर गै.मु. चाह की भूमि पर प्रथम दृष्ट्या किसी प्रकार का हक अधिकार होना प्रकट नहीं होता है। अपीलांटगण के हक अधिकारों का निर्धारण मूलवाद के अंतिम निस्तारण में साक्ष्योपरांत ही किया जाना संभव है अतः वर्तमान स्तर पर अपीलांटगण प्रश्नगत

खसरा नम्बर 683 रकबा 0.01 हैक्टेयर गै.मु.चाह के सम्बंध में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.08.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 58/2021 में पारित निर्णय दिनांक 07.08.2024 यथावत रखा जाता है।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/1/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा